

न्यायालय, सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 96/2017
GCMS : 2017/000184

--: वादी :- बनाम --: प्रतिवादीगण :-

- | | |
|---|--|
| 1. बगदाराम पुत्र लिखमाराम | 1. बक्साराम पुत्र भगाराम |
| 2. मांगूडीदेवी पत्नि बगदाराम | 2. कानाराम पुत्र भगाराम |
| जातियान- जाट,
निवासी-लितरिया, तहसील-
जैतारण, जिला- पाली राज०। | 3. चैनाराम पुत्र भगाराम
जातियान- जाट,
निवासी-लितरिया, तहसील-
जैतारण, जिला- पाली राज०। |
| | 4. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला
पाली (राज.) |

दावा बाबत घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजु:09/09/2015

- उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 13/10/2015

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा- लितरिया, पटवार हल्का- काणेचा, तहसील- जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 13-05 बीघा किरम बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 221 रकबा 16-01 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 221/7 रकबा 3-19 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 243/1 रकबा 0-03 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 244/1 रकबा 0-08 बीघा किरम गै०मु०तेड़, खसरा नम्बर 245 रकबा 3-02 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 246 रकबा 3-05 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 248 रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 249 रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 250 रकबा 4-13 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 251 रकबा 4-03 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 252 रकबा 1-14 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 253/1 रकबा 0-11 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 254/1 रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दोयम, सासरा नम्बर 318/253 रकबा 1-08 बीघा किरम चाही दोयम, कुल किता -15 कुल रकबा 58-12 बीघा की आई हुई है। उक्त आराजी में वादीगण रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल जमाबन्दी वाद-पत्र के साथ पेश की है। उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि को आगे वाद-पत्र में वादग्रस्त आराजी से निर्दिष्ट किया जायेगा। उक्त वर्णित वादग्रस्त


सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)



आराजी में वादीगण का भी हिस्सा आता है। परन्तु उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकॉर्ड में शामिल होती दर्ज है। जिसका कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर भी अभी भूमि शामिल है। परन्तु मौके पर सभी पक्षकारान् अपनी सुविधा अनुसार काशत करते हैं। लेकिन नापचौप होकर के मौके पर अलग बंटवाड़ा नहीं हो रखा है एवं माटे भी विधिवत रूप से कायम नहीं है तथा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में शामिल होती दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर कबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकॉर्ड में शामिल होती दर्ज है तथा मौके पर भी अभी तक विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं हो रखा है एवं सम्पूर्ण आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादीगण अपनी आराजी में कुआं खुदवाने, बैंक से ऋण लेने, अपनी आराजी के चारों तरफ मेटबन्दी करने, उसे उपजाऊ बनाने आदि अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक उक्त वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो जाता। तब तक प्रत्येक इंच पर हर खातेदार का अधिकार है। इसलिए वादीगण का यह वाद-पत्र बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। उक्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की हक हिस्से की आराजी में दस्तन्दाजी करते हैं तथा प्रतिवादीगण ने दिनांक 25.04.2017 को खसरा 220 रकबा 13-05 बीघा में अवैध रूप से खनन कार्य शुरू कर दिया एवं इसमें चाईना क्ले निकाल रहे हैं। जबकि प्रतिवादीगण को बिना बंटवाड़ा करवाये आराजी में किसी तरह का अवैध रूप से खनन करने एवं कृषि भूमि का मूल स्वरूप को बदलने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। जबकि उक्त आराजी में वादीगण का हक हिस्सा है। परन्तु प्रतिवादीगण जबरन लाठी व धनबल के आधार पर उक्त आराजी में खनन कार्य कर रहे हैं। यदि प्रतिवादीगण अवैध रूप से उक्त आराजी में खनन कार्य कर लेते हैं तो उक्त कृषि भूमि कार्य के काबिल नहीं रहेगी एवं वादीगण अपने हक हिस्से एवं अधिकारों से हमेशा के लिए महरूम हो जायेंगे। क्योंकि वादीगण भी इस आराजी के रेकॉर्डड काबिज खातेदार काशतकार हैं। प्रतिवादीगण को बिना बंटवाड़ा करवो इस तरह भी संख्या में जेसीबी मशीने लगाकर खनन कार्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण जबरन गैर कानूनी कार्य करने को आमदा हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के खनन कार्य करने से रोका जाना आवश्यक होने से यह वाद-पत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच में कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है और प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा करवाये ही वादीगण के हक हिस्से की आराजी में अवैध रूप से चाईना क्ले निकालने के लिए खनन कर रहे हैं एवं भूमियों में आये दिन दखल एवं दस्तन्दाजी कर रहे हैं एवं वादीगण की बेशकीमती भूमि को प्रतिवादीगण हडपने को आमदा हैं। प्रतिवादीगण जो कि संख्या में अधिक होने से अन्य अजनबी क्रेता के साथ मिलकर आये दिन वादीगण को काशत करने में बाधा व अडचन पैदा कर रहे हैं एवं मौके पर वादीगण की हक हिस्से की भूमि में मिट्टी के ढेर बना देते हैं तथा चाईना क्ले के खनन के लिए वादीगण की हक हिस्से की भूमि में वेस्ट मैटेरियल व मलबा डालकर उसको अनुपजाऊ कर रहे हैं। जबकि वादीगण को उक्त शामिल कृषि भूमि में बिना बंटवाड़ा कराये ही किसी तरह का कोई गैर कानूनी कृत्य करने का अधिकार नहीं है। परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण जानबूझकर वादीगण की

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बेशकीमती जमीन का हड़पने की नियत से भारी भरकम मशीने लगाकर अवैध रूप से खनन कार्य कर रहे हैं। यदि प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से की आराजी में मौके पर दखल व दस्तबदाजी करेंगे व बिना बंटवाड़ा करवाये ही खनन कार्य जारी रखेंगे, तो मौके पर विवाद बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े होंगे एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी तथा वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिए महरूम हो जायेंगे। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। दिनांक 25.04.2017 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का बंटवाड़ा कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा से करवाये का प्रतिवादीगण इन्कार हो गये एवं वादीगण को यह धमकी दी कि उसे मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लेंगे एवं उक्त आराजी में अवैध रूप से खनन कार्य कर चाईला क्ले निकाल कर बड़े-बड़े खड्डे कर कृषि भूमि को अनुपजाउ कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते हैं और बिना किसी हक व अधिकार के उक्त आराजी में अवैध खनन कार्य कर खड्डे कर देते हैं तो वादीगण अपने साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा के लिए महरूम हो जायेंगे तथा उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपों में भी नहीं आंका जा सकेगा। प्रतिवादीगण लाठी व धनबल के आधार पर आये दिन वादीगण की आराजी में दखल व दस्तबदाजी कर रहे हैं एवं उन्हें वेदखल करने की पूर्ण कोशीश कर रहे हैं। प्रतिवादीगण इन नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो इसके लिये वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 4 तहसीलदार, जैतारण जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार हैं, जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्ध वाद-पत्र पेश करने से पूर्व 02 माह विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु नोटिस देने में समय लगने की संभावना है। इसलिए नोटिस देना रिस्पेन्सविथ कर यह वाद-पत्र अनुमति लेकर पेश किया जा रहा है। जिस बाबत् प्रार्थना पत्र अलग से सादर पेश किया है। बिनायवाद दिनांक 25.04.2017 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार होने व मौके पर जबरदस्ती अवैध खनन कार्य करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-लितरिया, तहसील- जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणा एवं क्षेत्राधिकार में हैं। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति संख्या 3 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र- डिगरना में पेश हुई। मजमा-ए-आम में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित समझाईश की गई। लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् राजीनामा पेश करने पर सहमत हो गए। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा में व्यक्त किया कि वाद में वर्णित खसरा नम्बरान माफिक हिस्से अनुसार अपनी-अपनी आराजी का बंटवाड़ा कर दिया जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकूलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरुबे राजस्व रेकॉर्ड वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, लिहाजा पक्षकारान् में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डर के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिब्री जारी कर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित



 सहायक क्लरक पदेन
 उपखण्ड अधिकारी
 जैतारण (पाली)

उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा- लितरिया, पटवार हल्का- काणेचा, तहसील- जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 13-05 बीघा किरम बारानी अक्वल, खसरा नम्बर 221 रकबा 16-01 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 221/7 रकबा 3-19 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 243/1 रकबा 0-03 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 244/1 रकबा 0-08 बीघा किरम गै0मु0 तेड़, खसरा नम्बर 245 रकबा 3-02 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 246 रकबा 3-05 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 248 रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 249 रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 250 रकबा 4-13 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 251 रकबा 4-03 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 252 रकबा 1-14 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 253/1 रकबा 0-11 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 254/1 रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 318/253 रकबा 1-08 बीघा किरम चाही दोयम, कुल किता-15 कुल रकबा 58-12 बीघा में बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1002 दिनांक 04/09/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2017/1227 दिनांक 05/03/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकूलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकूलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकूलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

--:: आदेश ::--

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा- लितरिया, पटवार हल्का- काणेचा, तहसील- जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 13-05 बीघा किरम बारानी अक्वल, खसरा नम्बर 221 रकबा 16-01 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 221/7 रकबा 3-19 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 243/1 रकबा 0-03 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 244/1 रकबा 0-08 बीघा किरम गै0मु0 तेड़, खसरा नम्बर 245 रकबा 3-02 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 246 रकबा 3-05 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 248 रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 249 रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 250 रकबा 4-13 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 251 रकबा 4-03 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 252 रकबा 1-14 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 253/1 रकबा 0-11 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 254/1


सहायक कलेक्टर पदेन
उपस्थित अधिकारी

रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दायम, खसरा नम्बर 318/253 रकबा 1-08 बीघा किरम चाही दायम, की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिरवा बिरवांसी	किरम	लगान
1.	बगदाराम पुत्र लिखमाराम जाति- जाट सा. देह खातेदार	221/7	3-19	चा. दो.	13.82
		243/1	0-03	चा. दो.	0.53
		244/1	0-08	गै0मु0 तेड़	
		245	3-02	चा. दो.	10.85
		246	3-05	चा. दो.	11.38
		248	2-00	चा. दो.	7.00
		249	2-00	चा. दो.	7.00
		250	4-13	चा. दो.	16.27
		251	4-03	चा. दो.	14.53
		252	1-14	चा. दो.	5.93
		253/1	0-11	चा. दो.	1.93
		254/1	2-00	चा. दो.	7.00
			318/253	1-08	चा. दो.
	योग	13	28-06		101-06
2.	बक्साराम, कानाराम एवं चेनाराम पुत्र भगाराम जाति- जाट सा0देह खातेदार	220	12-05	बा. अ.	8.22
		221	16-01	चा. दो.	56.17
		योग	2	28-06	
3.	मांगुड़ी देवी पत्नि बगदाराम कौम- जाट सा0देह खातेदार	220/1	1-00	चा. दो.	3.50
	योग	1	1-00		3.50

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 13/10/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

--: वादी :-

बनाम

--: प्रतिवादीगण :-

1. बगदाराम पुत्र लिखमाराम
2. मांगूडीदेवी पत्नि बगदाराम
जातियान- जाट,
निवासी-लितरिया, तहसील-
जैतारण, जिला- पाली राज0।

1. बक्साराम पुत्र भगाराम
2. कानाराम पुत्र भगाराम
3. चैनाराम पुत्र भगाराम
जातियान- जाट, निवासी-लितरिया,
तहसील- जैतारण, जिला- पाली
राज0।
4. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला
पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 96/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुब्दई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः माफिक राजस्व रेकर्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है राजस्व मौजा- लितरिया, पटवार हल्का- काणेचा, तहसील- जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 13-05 बीघा किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 221 रकबा 16-01 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 221/7 रकबा 3-19 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 243/1 रकबा 0-03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 244/1 रकबा 0-08 बीघा किस्म गै0मु0 तेड़, खसरा नम्बर 245 रकबा 3-02 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 246 रकबा 3-05 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 248 रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 249 रकबा 2-00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 250 रकबा 4-13 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 251 रकबा 4-03 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 252 रकबा 1-14 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 253/1 रकबा 0-11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 254/1 रकबा 2-00 बीघा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 318/253 रकबा 1-08 बीघा किस्म चाही दोयम, की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	बगदाराम पुत्र लिखमाराम जाति- जाट सा. देह खातेदार	221/7	3-19	चा. दो.	13.82
		243/1	0-03	चा. दो.	0.53
		244/1	0-08	गै0मु0 तेड़	
		245	3-02	चा. दो.	10.85
		246	3-05	चा. दो.	11.38
		248	2-00	चा. दो.	7.00
		249	2-00	चा. दो.	7.00
		250	4-13	चा. दो.	16.27
		251	4-03	चा. दो.	14.53

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

		252	1-14	चा. दो.	5.93
		253/1	0-11	चा. दो.	1.93
		254/1	2-00	चा. दो.	7.00
		318/253	1-08	चा. दो.	4.90
	योग	13	28-06		101-06
2	बक्साराम, कानाराम एवं घेनाराम पुत्र भगाराम जाति- जाट सा0देह खातेदार	220	12-05	बा. अ.	8.22
		221	16-01	चा. दो.	56.17
	योग	2	28-06		64.37
3.	मांगुड़ी देवी पत्नि बगदाराम कौम- जाट सा0देह खातेदार	220/1	1-00	चा. दो.	3.50
	योग	1	1-00		3.50

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पचा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता दाखिल दफतर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।

बसिब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/10/2020 को जारी किया गया।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	- 00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-		महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	- 00	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	-		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-		मुत्फरिक		
मिजान:-	05	- 00	मिजान:-		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।